

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स: 05946-220003 ई-मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या: 110 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 15/ जुलाई, 2026

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष वन भूमि 0.120 है० को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपके कार्यालय से परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आपत्ति दिनांक 06.06.2026।

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कतिपय आपत्ति लगायी गयी, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या 201/12-1 दिनांक 15.07.2026 से आपत्तियों का उत्तरालेख मय प्रस्ताव की प्रतियाँ सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा प्रेषित उत्तरालेख मय प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ सहित संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।
(संलग्न: उपरोक्तानुसार।)

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक: 110 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 201/12-1 दिनांक 15.07.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

9



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल)



dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं० 05947-251362

पत्रांक
सेवा में,

201/12-1

दिनांक,

15/07/2026

वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष वन भूमि 0.120 है० को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/145973/2021 के परिवेश आनलाईन पोर्टल आपत्ति दिनांक 06.06.2026 एवं मण्डलीय प्रबंधक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, काठगोदाम के पत्रांक 1871 के०आर/4-भूमि भवन/रामनगर बस स्टे०/26 दिनांक 17.06.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या मण्डलीय प्रबंधक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस उपलब्ध कराई गयी, उक्तके क्रम में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

क्र०सं०	आपत्ति	उत्तरालेख
1	Ensure that the checklist of 59 document provided by the the goi regarding the Perposal is signed and submitted by the DFO.	उक्त आपत्ति का निराकरण कर भारत सरकार द्वारा जारी 59 डॉक्यूमेंट की चैकलिस्ट पूर्ण कर प्रस्ताव में संलग्न किया जा रहा है।
2	A Copy of the WLMP and SMC Plan, approved by the competent authority, is required to be attached to the proposal.	उक्त आपत्ति का निराकरण WLMP and SMC Plan सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3	Submit a Plantation scheme for 100 trees based on the revised rates applicable for compensatory afforestation or the FY 2026-27	उक्त आपत्ति का निराकरण कर अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर दिये गए है।
4	The administrative and financial sanction issued by the government regarding the proposal must be attached.	उक्त आपत्ति का निराकरण कर अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर दिये गए है।
5	A Suitability certificate for the site designed for planting the 100 trees for compensatory afforestation is required to be attached to the proposal.	उक्त आपत्ति का निराकरण कर अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर दिये गए है।
6	The SIR Report Submitted.	उक्त आपत्ति का निराकरण कर अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर दिये गए है।

अतः ई०डी०एस० में अंकित समस्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए प्रस्ताव आवश्यक अगोत्तर कार्यवाही हेतु 04 चार प्रतियों में सादर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय
(ध्रुव सिंह मर्तोल्या)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मण्डलीय प्रबंधक संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम, काठगोदाम को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

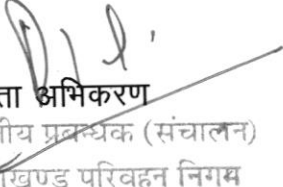
(ध्रुव सिंह मर्तोल्या)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

परियोजना का नाम:-रामनगर बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष भूमि 0.120 है० को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

क्र० सं०	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या	संलग्न हां/नहीं/लागू नहीं
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	6	हां
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 (प्रयोक्ता हेतु)	8	हां
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2 (प्रभागीय वनाधिकारी हेतु)	10	हां
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3 (नोडल कार्यालय हेतु)	13	हां
5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	15	हां
6	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	18	हां
7	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	19	हां
8	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	36	हां
9	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	37	हां
10	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	05	हां
11	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	38	हां
12	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	39	हां
13	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	40	हां
14	प्रभावित भूमि का लैंड शैड्यूल।	41	हां
15	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	45	हां
16	बार चार्ट। (प्रस्तावित भूमि का)	46	हां
17	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	47	हां
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।	48	हां
19	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	52	हां
20	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	53	हां
21	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	56	हां
22	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	55	हां
23	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	57	हां
24	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र। (CCF IT के स्तर से जारी)	58,58A,59	हां
25	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)		
26	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा० उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।		
27	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	60	हां
28	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	62	हां
29	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	63	हां
30	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	67	हां
31	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	68	हां

क्र० सं०	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या	संलग्न हां/नहीं/लागू नहीं
32	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	70	हां
33	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	71	हां
34	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	75	हां
35	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	76	हां
36	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	77	हां
37	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	78	हां
38	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	79	हां
39	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	80	हां
40	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	81	हां
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन पर वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। 1.0 है० से कम का Proposal हैं अतः इसमें 10 गुना पौधों की वृक्षारोपण योजना	82	हां
42	रोपण किये जाने वाले 10 गुना पौधों के रोपण स्थल का उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	83	हां
43	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	84	हां
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन, मानचित्र उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	85	हां
45	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं	लागू नहीं
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	लागू नहीं	लागू नहीं
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	86	हां
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	89	हां
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	90	हां
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	91	हां
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	1(A)	हां
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	93	हां
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	94	लागू नहीं
54	मक डिस्पोजल योजना अथवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	88	हां
55	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	87	नहीं
56	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है		
a.	In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.		
b.	The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.		(प्रमाण पत्र संलग्न)
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	A	लागू नहीं

क्र० सं०	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या	संलग्न हां/ नहीं/ लागू नहीं
58	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड की जानी अपेक्षित है।	85	हां
59	फैक्टशीट शीट पूर्ण विवरण सहित	01	हां


 प्रयोक्ता अभिकरण
 मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
 उत्तराखण्ड परिवहन निगम
 काठगोदाम


 प्रभागीय वनाधिकारी

संख्या-383845/2026/ई-44653/55/IX-2/2022

प्रेषक,

बृजेश कुमार सन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय- रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के पत्रांक-41/2025, दिनांक 17.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना हेतु टी0ए0सी, नियोजन के परीक्षणोंपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पुनरीक्षित लागत ₹ 5014.46 लाख (पूर्व में अनुमोदित/स्वीकृत लागत ₹ 2857.34 लाख सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित पूर्व में विभिन्न शासनादेशों द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 2857.34 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 2157.12 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या:-44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Uttarakhand, दिनांक 24.07.2025 द्वारा Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2025-26 Part-I(Untied) के अन्तर्गत रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रू0 5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment For 2025-26 Part-I (Untied) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किस्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि तत्काल निर्धारित कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि उसी योजना पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में प्रश्नगत योजना की सम्पन्न व्यय-वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या 637/परिवहन विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2025 दिनांक 24.03.2026 के कार्यवृत्त (छायाप्रति)

उपरोक्त प्रबन्धक (संचालन)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

काठगोदाम¹

संलग्न) में निहित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2025, वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. योजना हेतु बजट/धनराशि की समुचित व्यवस्था कर ली जाय। योजना हेतु SAsCI में प्रस्तावित धनराशि को अन्य किसी योजना में स्थानान्तरित न किया जाय।
9. जांच समिति द्वारा आख्या में भविष्य में भवन विस्तार के दृष्टिगत पुनरीक्षित Electric Load के आधार पर Transformer, HT Panel, Cable, MCB, DB, DG Set, UPS, HVAC, Escalator & Lifts आदि की क्षमता के अनुसार प्रावधान किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में परिवहन विभाग अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार मितव्ययिता के दृष्टिकोण से ही प्रावधान सुनिश्चित करें।
10. निर्माण कार्य NBC and Uttarakhand Building Bye-Laws एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाय। परिवहन विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि बजट के आधार पर भवनों का निर्माण इस प्रकार से हो कि निर्मित भवन को उपयोग में लाया जा सके। अपरिहार्य परिस्थिति में बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य को रोकना भी पड़े तो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित Stage पर ही रोका जाय।
11. निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।
12. अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्रावधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यों में प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य लगाया जाए तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
13. परिसर में विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0-62561-7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC-62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्रावधानों को संबंधित विभाग से वैट करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त किया जाय। विद्युतीकरण के कार्यों को विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं से ही सम्पादित कराया जाय।
14. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्त परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।
15. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. आगणन में दरें डी0एस0आर0 2023 की ली गई हैं, जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं हैं, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य कराया जाय।
17. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness and Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
18. परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाय।

(17)

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य भवन, 26-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य(SASCI) के मानक मद 53-वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

4. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या (आई0डी0 संलग्न) से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनित क्रमांक:-383826/2026, दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

Digitally signed by
Shri Brijesh Kumar Sant
Date: 31-03-2026
18:04:36
(बृजेश कुमार सन्त)
सचिव।

संख्या:-383845 (1)/2026/ई-44653/55/IX-2/2022,तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
- 7- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी।
- 8- गार्डफाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Pradeep Mohan Nautiyal
Date: 31-03-2026
10:33:35 (प्रदीप मोहन नौटियाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)
Secretary-Secretary, Finance(S013)
HOD-Transport Commissioner(4063)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S26030070083
आवंटन पत्र दिनांक-30-MAR-2026

लेखा शीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत
परिव्यय
800-अन्य भवन
00--

80-सामान्य

26-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य
(SASCI)

Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	2	6	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				16852157600		500000000		0		16902157600		
योग				16852157600		500000000		0		16902157600		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,00,00,000 (Rupees Five Crores Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Digitally signed by
NAVNEET PANDE
Date: 30-03-2026
16:22:40

प्रेषक,

डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

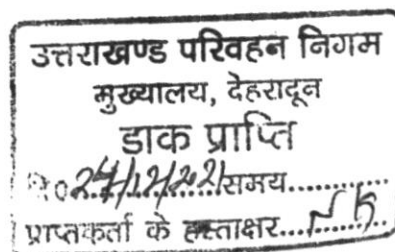
विषय- जनपद नैनीताल के रामनगर में आई०एस०बी०टी० निर्माण परियोजना के प्रथम चरण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु शासनादेश सं० 26/2016/81/IX/2010, दिनांक 22.04.2016 द्वारा प्रक्रियात्मक कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि ₹13.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदक्रम में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्रांक 165/HQ/X/Development of Bus Terminuses/19, दिनांक 08.11.2019 के क्रम में जनपद नैनीताल के रामनगर में आई०एस०बी०टी० निर्माण परियोजना के प्रथम चरण में भूमि की चाहरदीवारी, समतलीकरण एवं निगम की तात्कालिक आवश्यकतानुसार अस्थायी कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगणन की आंकलित धनराशि ₹227.18 लाख के सापेक्ष विभागीय औचित्यपूर्ण अनुमोदित धनराशि ₹221.28 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में विषयगत परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि ₹200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में उप परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-440/नियोजन/13-144/2021 दिनांक 04.12.2021 के क्रम में प्रश्नगत निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹21.280 लाख (रुपये इक्कीस लाख अठाईस हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (viii) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः...2..



10/09

श्रीमती डी.ए.एस. सिन्हा
Deputy Secretary
Supplimentry tipri & Budget Nigam doc

- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि तत्काल निर्धारित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-050-भूमि तथा भवन-13-रामनगर में आई0एस0बी0टी0 निर्माण-53 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
- 4- यह स्वीकृति वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-423/9(150)-2019/XXVii/(1)/2021, दिनांक 31.03.2021 के अन्तर्गत निर्धारित निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

प्र.संख्या-472(1)/2021/81/IX-2/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस-ब-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
- 7- वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून।
- 8- बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम प्रकाश आर्य)
अनु सचिव।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत रामनगर क्षेत्र में बस पोर्ट निर्माण कार्य हेतु 0.120 है0 वन पंचायत भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

Check List For Site Inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

S.No	Particular	Comments of Inspecting Officer	
1	Extent in hectares	0.120Ha.	
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Latitude	longitude
		Start Point	N-29°23'49.3" E-79°07'35.0"
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other Types of forest land)	Reserve Forest	
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	No	
5	Any Signs of encroachment.	NO	
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	NO	
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	According to the working plan, the vegetation density of the compartment is 0.6. However, the proposed site, which is in close proximity to the population, has a comparatively lower vegetation density. This variation is attributed to significant differences in terrain nature, orientation, and rock type. The site is characterized by a sloping terrain with rocky soil.	
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of Important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	NO	
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	NO	

10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	The proposed land falls under Reserved Forest and is being managed in accordance with the prescriptions of the approved Working Plan of the Division.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	The area holds no significance from a historical or religious perspective.
12	Any dependent persons/families on this land.	NO
13	Any displacement of persons proposed.	NO
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	NO
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest, find then what is the current Working Plan prescription. for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area: Number of patches in case the area should be more than 2 kms.	The proposal involves diversion of less than 1.0 hectare of forest land. As per the applicable SOP, Compensatory Afforestation is not required; only gap filling plantation of 100 saplings is proposed within the jurisdiction of this Range. The identified site is suitable for plantation. Details are enclosed in the Annexure.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also, distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms area.	The proposed area does not fall within any designated protected regions, and the nearest protected area is located approximately 14 KM away.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this.	There are no tribals in the area, and therefore, there is no dependence on the forest resources.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	The project will provide Road connectivity to the people living in the close vicinity of the project.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	NO
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site-specific projects.	According to the User Agency, the proposed site is best suitable for the project. due to this reason the project is site specific in nature.

(1912)

21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Attached.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	All necessary measures to protect and preserve tree growth will be duly implemented.
23	Any other issue of significance.	NO
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project	The proposal is accepted in public interest.

Signature:-

Name:-

Designation:-

Seal:-


Dhurv Singh Martoliya
 प्रभागीय वनाधिकारी
 Deputy Conservator Of
 Forest, वन प्रभाग, रामनगर

प्राक्कलन

परियोजना का नाम:- रामनगर मे बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- अपरकोसी बीट के रामनगर रिजर्व ब्लॉक क्षेत्रफल 0.20 है० रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 100 योजना का

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु०)	योग	अनु.दर क०
1	2	3	4	0	
प्रथम चरण					
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.20है०	1150	230.00	2,5,1,1
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.20है०	13967	2793.40	2,5,1,2
3	अग्रिम फेंसिंग / टी गार्ड	100 नग	1000	100000.00	बाजार दर
4	गढ़वा खुदान (0.60X0.60X0.60)	100 नग	41.50	4150.00	5,2,1
5	गढ़वा भरने हेतु गोबर खाद कय मय बुलान	100 नग	18.00	1800.00	5,2,2
6	खाद मिटटी मिलाकर गढ़वा भरान (0.45X0.45X0.45)	100 नग	5.00	500.00	5,2,3
7	पौधों का मूल्य(2वर्ष पुराने)	100 नग	50.00	5000.00	बाजार दर
				114433.00	
योग- प्रथम चरण					
द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य					
1	पौधों बुलान कार्य	0.20है०	3109	621.80	2,5,2,2
2	पौधारोपण स्थानीय बुलान सहित	0.20है०	2432	486.40	2,5,2,4
3	निराई गुड़ाई व मल्लिचग (तीन बार)	0.20है०	4398	879.60	2,5,2,6
4	वृक्षारोपण के उपरान्त झाड़ी कटान	0.20है०	5964	1192.80	2,5,2,7
5	रोपित पौधों की देखरेख हेतु रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (8 माह पार्ट टाइम मजदूरी पर)12415/4= 3104	8माह	3104	24832.00	अनु.दर क-3
6	साइन बोर्ड लगाना कम्पलीट	1नग	लमसम	5000.00	बाजार दर
7	अन्य व्यय रोपण क्षेत्र का रख रखाव ईंधन स्टेशनरी प्रचार प्रसार आदि	0.20है०	463	92.60	2,5,2,18
8	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय ।	0.20है०	926	185.20	2,5,2,19
	योग- द्वितीय चरण		योग	33290.4	
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष अनुरक्षण प्रथम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.20है०	ल०स०	15400.00	
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.20है०	ल०स०	14000.00	
वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष अनुरक्षण तृतीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.20है०	ल०स०	12000.00	
1	वृक्षारोपण का छठा वर्ष अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष				
	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			12000.00	
1	वृक्षारोपण का सातवा वर्ष अनुरक्षण पंचम वर्ष				
	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			10000.00	
1	अष्टम वर्ष अनुरक्षण षष्ठम वर्ष				
				100000.00	
1	नवम वर्ष अनुरक्षण सप्तम वर्ष				
				9000.00	
1	दशम वर्ष अनुरक्षण अष्टम वर्ष				
	घास दबाने हेतु खुदान/सफाई /झाड़ी कटान कार्य	100 पौध	3.98	398.00	
	अन्य आकस्मिक व्यय		ल०स०	5300.00	
	कुल योग			235821.40	
	या		या	235700.00	

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत-235700.00 (दो लाख पैंतीस हजार सत्तर सौ)

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि रामनगर

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र उपयुक्ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रामनगर वन प्रभाग रामनगर के कोसी रेंज के अन्तर्गत अपरकोसी वीट के रामनगर रिजर्व ब्लाक क्षेत्रफल 0.20 है० में वृक्षारोपण हेतु 100 पौध रोपित किये जाने हेतु स्थल उपयुक्त है।



उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि रामनगर



प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर



उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्पलाइन नं० 1926

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135-2742884 फैक्स नं० 0135-2745691 ईमेल-cwlvua@yahoo.co.in

पत्रांक 144 / 12-1 देहरादून

दिनांक 13 जुलाई, 2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।

विषय:- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष वन भूमि 0.120 है० को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में। Proposal No. FP/UK/others/145973/2021

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-28/12-1 दिनांक 04.07.2026

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ विषयगत परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये Wildlife Management Plan (रू०-100.29 लाख) जो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, की प्रति हस्ताक्षरित कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्य हेतु सम्बन्धितों को यथोचित दिशा-निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें ताकि कार्य शासनादेशों एवं प्रचलित नियमों की परिधि के अन्तर्गत ही किया जा सके।

सलंगन:-यथोपरि।

भवदीय

(नीना ग्रवाल)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 144 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।



Wildlife Management Plan & Soil Moisture Conservation Plan

(As per the Van Sanrakshan and Samvardhan Adhiniyam, 2023)

**Diversion of 0.120 Hectares of Forest Land for Construction of Bus Port/
Development work at Ramnagar- Ranikhet Road in Favour of Uttarakhand
Parivahan Nigam, Ramnagar within the Jurisdiction of Ramnagar Forest
Division, Nainital District of Uttarakhand State**

Total area of the project	–	0.120 ha.
Project Cost	–	5014.46 Lac
Amount of the WLMP (2% of Project cost)	–	100.29 Lac



Wildlife Management Plan & Soil Moisture Conservation Plan

(As per the Van Sanrakshan and Samvardhan Adhiniyam, 2023)

**Diversion of 0.120 Hectares of Forest Land for Construction of Bus Port/
Development work at Ramnagar- Ranikhet Road in Favour of Uttarakhand
Parivahan Nigam, Ramnagar within the Jurisdiction of Ramnagar Forest
Division, Nainital District of Uttarakhand State**

Total area of the project	–	0.120 ha.
Project Cost	–	5014.46 Lac
Amount of the WLMP (2% of Project cost)	–	100.29 Lac

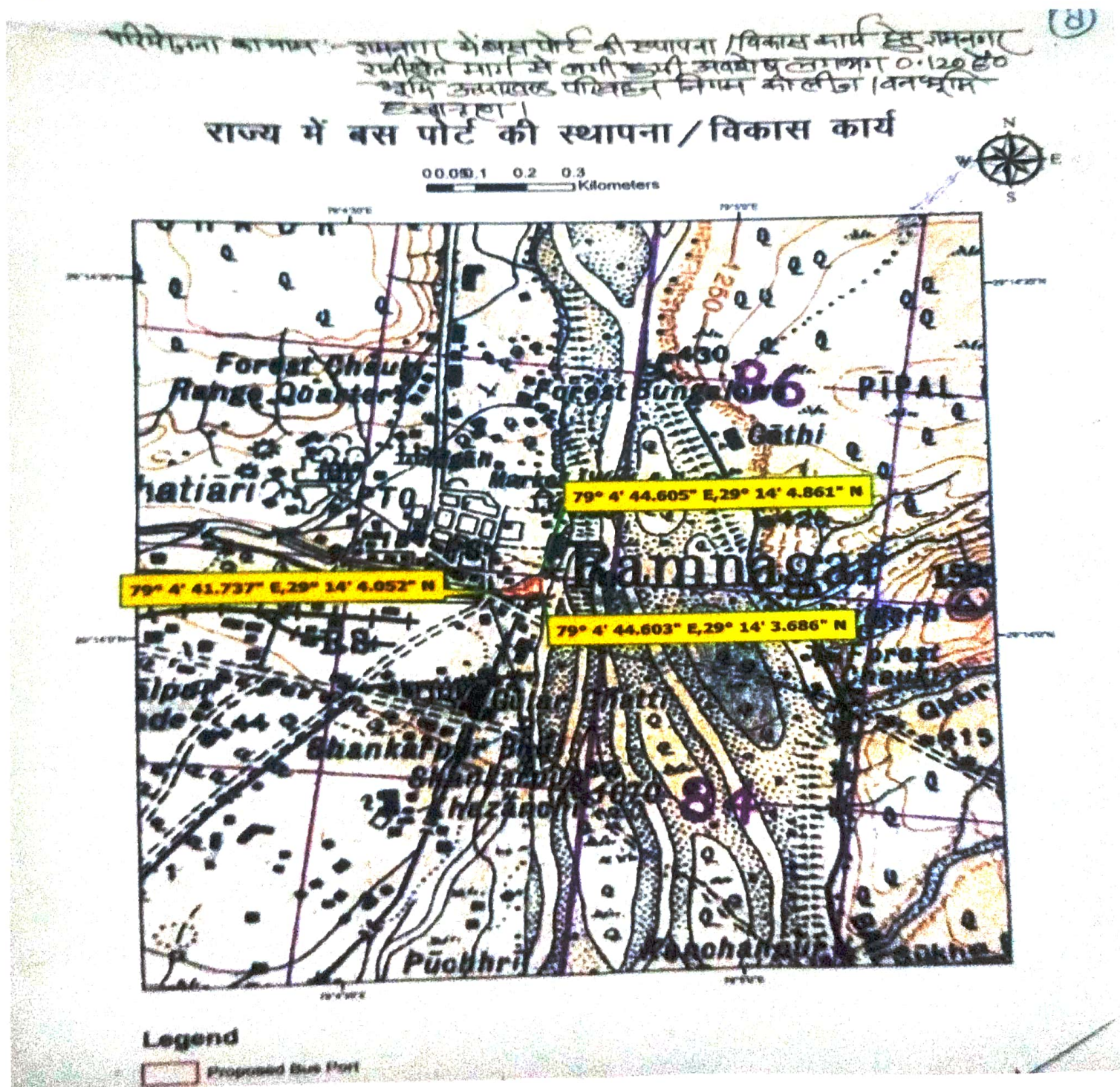
INDEX

S. No.	Description of work	Page No
SECTION I - INTRODUCTION		
1	1.0. Introduction	3
	1.1. Justification and benefit of the project	4
	1.2. Requirement of Wildlife clearance	5
SECTION II - DETAILS OF RAMNAGAR FOREST DIVISION		
2	Description of the Reserve Forest/Protected Forest area & likely impact of project	
	2.0. Details of the Ramnagar Forest Division	6-7
	2.1. Shape of land and forest type	8
SECTION III - PROPOSED WILDLIFE MITIGATION MEASURES		
3	Impact of the proposed water supply scheme	
	3.1. Likely impact of the project on Reserve Forest Area/ Protected Forest Area	9
	3.1.1: Major Flora and Fauna in the Region	10
	3.2. Proposed Mitigation Measures: Detail Estimate of all proposed activities under Wildlife Management	11-14
	Certificate	15

SECTION I – INTRODUCTION

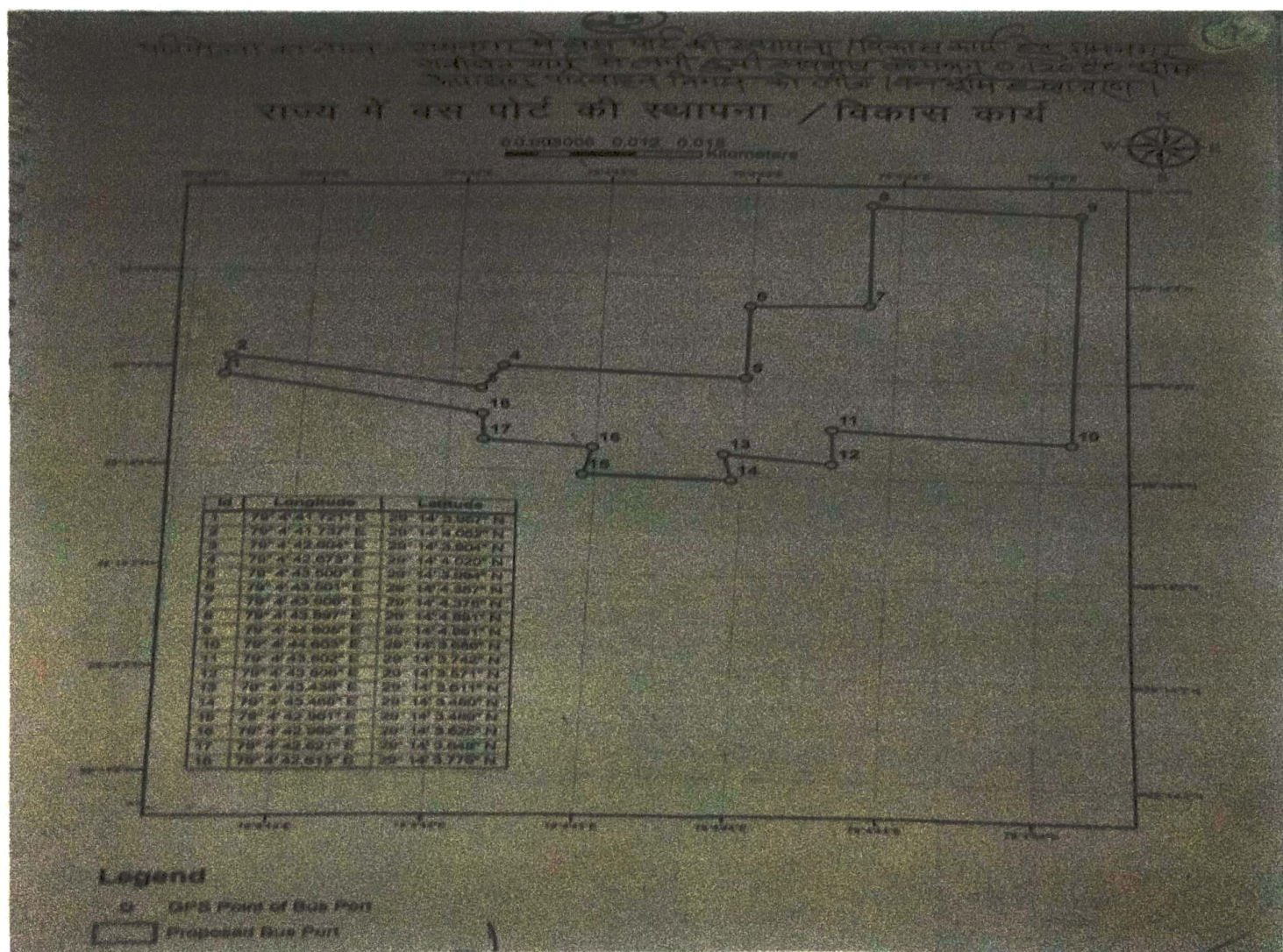
1.0 PROJECT BACKGROUND

The Proposed Project is for the Construction of Bus Port/ Development work at Ramnagar- Ranikhet Road, Ramnagar in Nainital District of Uttarakhand State. The project include diversion of total **0.120 ha of Forest Land** and total cost of the project is **5014.46 Lac.**



1.1 JUSTIFICATION & BENEFIT OF THE PROJECT

The proposed project involves the construction of the Bus Port/ Development work in Nainital District of Uttarakhand, which requires the diversion of 0.120 ha of forest land with a total project cost of ₹2253.00 lakh. Ramnagar is the main gateway to the Kumaon and Garhwal hill regions and serves as an important transit point for tourists, pilgrims, local residents, and commercial traffic. Establishment of a Bus Port at Ramnagar-Ranikhet Road will strengthen transportation infrastructure and improve connectivity between the plains and hill districts. The proposed facility will provide better passenger amenities, organized parking, waiting areas, and safe boarding and deboarding facilities, particularly benefiting travelers during night hours. The project will generate employment opportunities for local people through transport-related services, commercial establishments, and other ancillary activities, thereby contributing to regional economic development. It will also help reduce traffic congestion and improve overall transport management in the town. The proposed Bus Port is not expected to have any adverse impact on wildlife, wildlife movement, forest ecosystems, or forest resources. Necessary environmental safeguards will be adopted to ensure ecological sustainability while facilitating public convenience and regional development.



1.2 REQUIREMENT OF WILDLIFE CLEARANCE

Wildlife Clearance is a clearance or permission required from National Board for Wildlife (NBWL), a statutory body created under India's Wildlife (Protection) Act, 1972, as per Supreme Court order to establish any industry or development projects inside or within 10 km radius of any protected area. As per the aerial distance certificate issued by I.T. Cell, Dehradun, the proposed project site is located at an aerial distance of 14 km from Corbett Tiger Reserve.

1.153/2021
24-7-21
File No. 3201-3D/1/2020 FOREST DEPT
378/378

कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।
वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में
✓ वन्यजीव प्रबंधक (संचालन)
काठगोदान।

विषय :- रामनगर बस स्टेशन से लगी हुई भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 549/के0आर/4-भूमि भवन/रामनगर/21 दिनांक 05-07-2021।

महोदय,
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में रामनगर बस स्टेशन हेतु चयनित स्थल की आपके माध्यम से दी गई केएमएल से हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:-

क्र0सं0	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	तराई पश्चिमी रामनगर रेंज गुलजारपुर ब्लॉक कम्पार्टमेंट 3 से	1.16 कि0मी0
2	कोरबेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से	14.0 कि0मी0

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी दी गयी केएमएल के अनुसार जी0आई0एस0 तकनीकी से सन्निकट आंकलित की गयी है।

भवदीय,
Digitally signed by PANKAJ KUMAR
Date: Tue Jul 20 14:54:00 IST 2021
Reason: Approved.
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्र0 वन्यजीव
24-7-2021

SECTION II

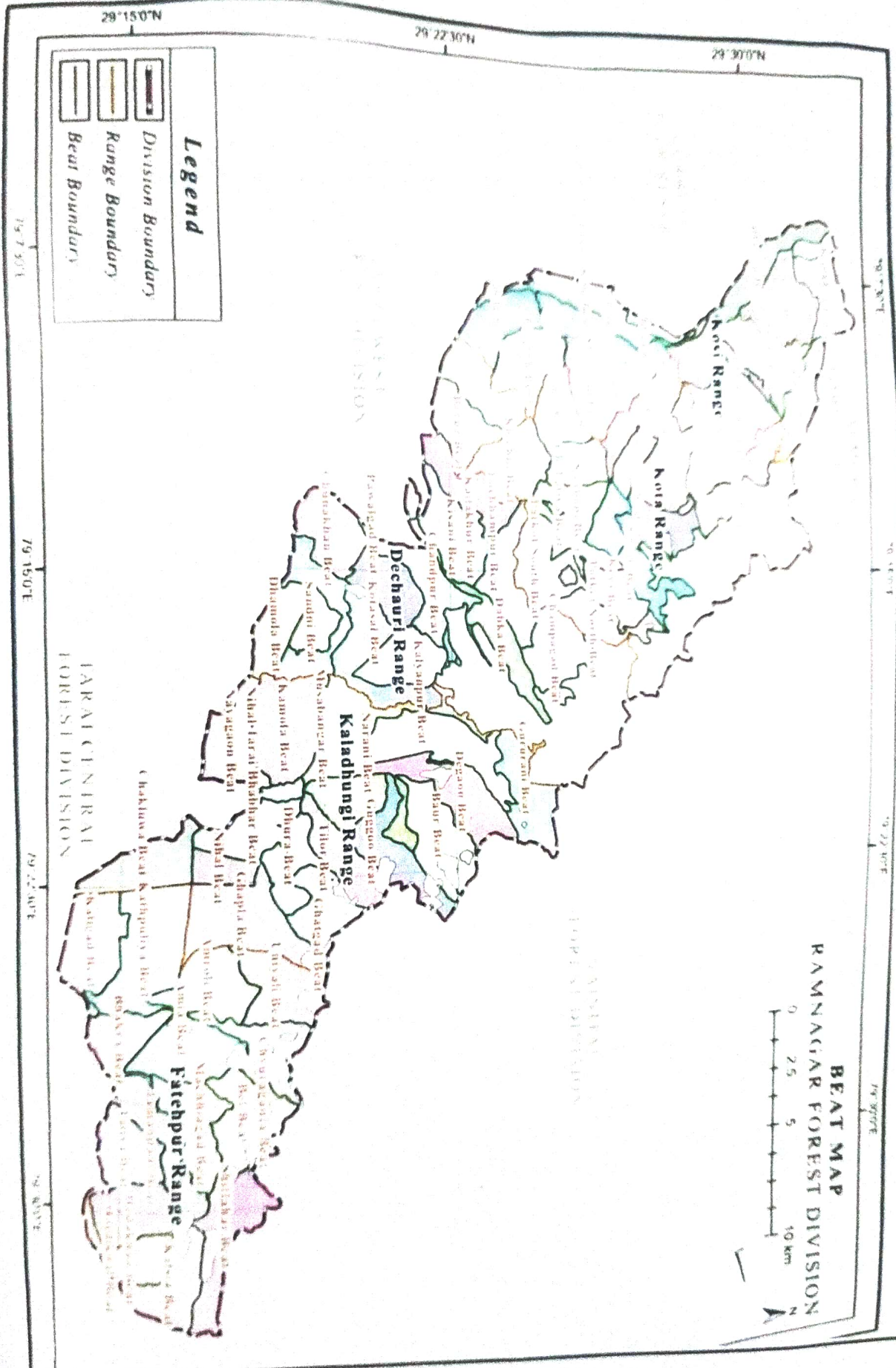
DETAILS OF RAMNAGAR FOREST DIVISION

2.0- DETAILS OF THE RAMNAGAR FOREST DIVISION:

Ramnagar forest division was reorganized as per the Government Notification No. 159/ XIV-44 dated 13.04.1911. The headquarters of Ramnagar Forest Division is located in Ramnagar Reserve Block, Ramnagar, which is about 55 km from Western Circle Office. The Ramnagar Forest Division covers a geographical area of 48,418.10 hectares and is administratively divided into 2 subdivisions, 5 ranges, and 69 beats.

Boundaries- Ramnagar Forest division is bounded by Corbett Tiger Reserve on the west, Haldwani forest division on the east, Nainital forest division and Almora forest division north and Tarai central forest division and Tarai west on the south.

S.No.	Name of Range	Area of Reserve Forest in Hectare
1	Kosi	8299.70
2	Kota	8542.40
3	Dechauri	10200.00
4	Kaladhungi	11390.35
5	Fatehpur	9985.65
Total Area		48418.10



2.1 - SHAPE OF LAND AND FOREST TYPE:

The entire area under the management of Ramnagar Forest Division lies within the Tarai and Bhabar tracts of the Himalayan foothills. The division is drained by the Kosi, Dabka, Chahal, and Nihal rivers along with their numerous tributaries, which play a vital role in shaping the ecology and hydrology of the region.

The Division extends across both Tarai and Bhabar zones and supports a rich diversity of flora and fauna. Owing to variations in topography, soil, moisture regime, and climatic conditions, the area exhibits a wide range of vegetation types. According to the classification provided in "A Revised Survey of Forest Types of India" by Champion and Seth, the forests of the Division comprise the following forest types and sub-types:

S. No.	Main group /Sub group	Forest Type	Area (Ha.)
1	2B/E-1	Northern Tropical semi evergreen Forest	Local
2		North Indian deciduous forest	
	3C/C-2.A	(I)Moist Siwalik Sal	10049.2
	3C/C-2.B(1)	(II)Moist Bhabar-dun Sal	8322.4
	3C/C.3.A	(III)West Gangetic moist mixed deciduous forest	6085.7
	3/E-1	(IV)Terminalia tomentosa	114.1
	3/I.S. 1	(V)Low alluvial sacannah wood land	332.7
3		Tropical fresh water swamp forests	Local
	4C/F.S.2	(I)Sub-montane hill valley swamp forest	
4		Northern tropical dry deciduous forests	
	5B/C.1.A	(I) Dry Siwalik Sal	6163
	5B/C.2	(II) Northern dry mixed deciduous forest	9416.4
	5/E.9	(III)Dry bamboo brake	Local
	5/I.S.2	(IV) Khair-Sissu forest	2622.20
5		Himalayan sub-tropical pine forests	
	9/C.1A	(I) Lower or shiwalik chir pine forest	23.5
Total			43129.20

SECTION III

PROPOSED WILDLIFE MITIGATION

MEASURES

3.1- LIKELY IMPACT OF THE PROJECT ON RESERVE FOREST AREA/PROTECTED FOREST AREA

The proposed project is not likely to have any adverse impact on the Reserve Forest or Protected Forest area.

The project is not expected to affect forest ecosystems, wildlife habitats, wildlife movement corridors, or ecological processes. Adequate environmental safeguards and mitigation measures shall be adopted during construction and operation to ensure that there is no indirect impact on the surrounding forest areas.

Therefore, the proposed project is not anticipated to cause any significant environmental, ecological, or forestry-related impact on the Reserve Forest or Protected Forest area.

3.1.1: Major Flora and Fauna in the Region

Flora:

The Division has rich biodiversity.

Assessment Year	Category	No of Species
2019-20	Trees	94
	Scrubs	58
	Herbs	27
	Climbs, orchid, epiphytes, parasitis	27

1. **Shorea**— (Shorea robusta), Terminalia Alata (Alogeissus latifolia) Lannea Coromandelica (Terminalia bellirica, (Syzygium cumini) (Haldina cordifolia), Garuga Pinnata (Lanneacoro Mandelica), Terminalia Chubula, Pinus roxburghii, Ougeinia Oojeinense, (Mallotus philippensis) Ehretia Laevis (Cassia fistula), Emblica officinalis Gaerth.)] Phoebe Lanceolata Machilus odoratissima (Dendrocalamus stricius) (Bombax ceiba), (Toona ciliata), (Bauhinia variegata), (Ficus auriculata) A
2. **Eupatorium**— (Eupatorium ageratum), (Clerodendrum Viscosum), (Murraya Kounigii) (Berberis aristata), (Lantana Camara), (Adhatoda vasica) (Eupatorium ageratum)

(*Clerodendrum Viscosum*)] (*Glycosmis pentaphylla*), (*Clerodendrum Viscosum*)] (*Desmodium gangotcum/Flemingia Chappar*)](*Pogostemon benghalensis*), (*Ziziiphus Mauritiana*) (*Vitex Negundu*)A

3. **Asparagus** – (*Asparagus Racemosus* (*Tinospora Cordifolia*), (*Asparagus racemosus*] (*Saxifraga ligulata*), (*Imperata cylindrica*), (*Girardinia heterophylla*), (*Mentha sylvestris*) (*Cannabis Sativa*) A

Fauna:

The Division is rich in faunal, Reptiles and Mammals species.

Assessment Year	Particulars	No. of Spices
2019-20	Birds	336
	Reptiles	16
	Mammals	32

Birds

- Important bird species reported are Black Francolin, Grey Francolin, Red Jungle Fowl, Indian peafowl and kalij Pheasant, Mallard, Gadwall, Northern Pinatail, Red crested Pochard, Tufted Duck, Little Grebe, Asian Open bill, Indian pond heron, Grey Heron, great Egret, Intermediate Egret, Indian cormorant, great cormorant, collared Falconet, common Kestrel, Oriental Hobby, Peregrine Falcon, Black kite, Black eared Kite, black Eagle, Bearded Vulture etc.

Mammals

- Important mammal's species reported are *Panthera Tigris*, *Panthera Pardus*(lineous), *Felis Bengalensis*, and *Felis Chaus*, *Veverricula Indica*, *Hyna Hyna*, *vulpes bengalensis*, *Canis Aureus*, *Cuon Alpinus*, *Ursus arctos*, *Lutra Lutra*, *Rousettus leschenaultia*, *Hystrix Indica*, *Lepus nigricollis*, *Hemitragus Jemlahicus*, *Boselaphus tragocamelus*, *Cervus Unicolor*, *Hyelaphus porcinus*, *Axis Axis*, *Muntiacus Muntjak*, *Sus Scrofa*, *Macaca Mulatta*, *Presbytis Entellus* etc.

REPTILES

- Important Reptiles species reported are Cobra, King cobra, Common Krit, Rat Snake, S Russell's Viper, Lampro Phildas, and Indian Python

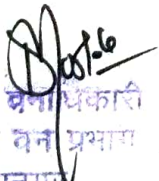
Fishes

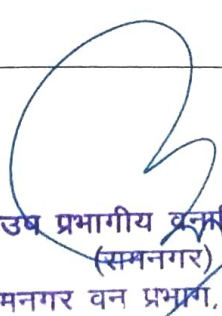
- Important fish species are *Barbus tor putitora*, *Barbus tor tor* and *Lobeo rohita*.

WILDLIFE MANAGEMENT PLAN

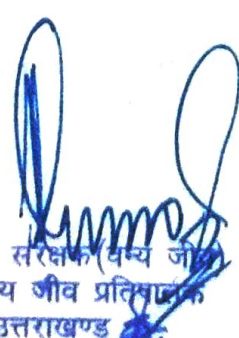
Wildlife Management plan Summary

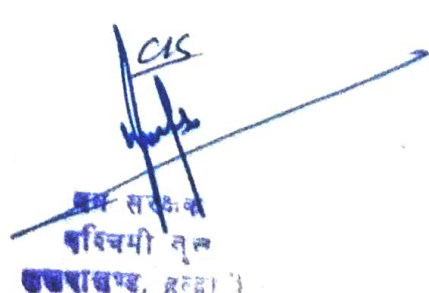
S.N	Details of Proposed Activities	Amount (in Lac)	Remarks
Wildlife Management plan under the amount of 2.0% of the total project cost. These interventions will be carried out in upper Teda Village, Kunkhet Village, Koshi Beat, Bela beat and Hathipond beat of Koshi Range, Ramnagar Forest Division, Ramnagar.			Justification and estimate for project on wildlife Management plan attached.
A.			
A: Patrolling Kits and Field Equipment for Human Wildlife Conflict Mitigation			
1.	Chain link Fencing	49.32	
2.	Lantana and Weed Removal work	42.81	
3.	Solar Light	8.16	
Total (A)		100.29	


 उप-प्रभागिय वन अधिकारी
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


 उप-प्रभागीय वन अधिकारी
 (रामनगर)
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


 वन क्षेत्राधिकारी
 कोसी वन क्षेत्र
 (रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
 नैनीताल


 प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)
 मुख्य वन्य जीव प्रविष्टि
 उत्तराखण्ड


 प्रमुख वन संरक्षक
 वन्य जीव
 उत्तराखण्ड, हरद्वार

Name of Work:- Providing and laying of Chain link Fencing for 2 km in Teda Village and 1 Km in Kunkhet village forest Compound under Kosi Range.

Village - Teda, Kunkhet

Range:-Kosi

Financial year :- 2026-27

GPS Location-

Teda Village- 29.414759,79.1393673,

Teda Village- 29.413777,79.1419516

Kunkhet Village- 29.534444,79.155556

Item No.	Reference to DSR Specification	Item of Work	Qty.	Unit	Basic Rate	Rate GST correcti on Factor 0.973	Total Rate with Index 120 @20%	Amount
1	2.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and for all lift, as directed by Engineer-in-charge.	40.58	Cum.	177.50	172.71	207.25	8410.16
2	4.1.8	1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size derived from natural sources)	40.58	Cum.	6812.00	6628.08	7953.69	276430.96
3	16.2	Supplying at site Angle iron post & strut of required size including bottom to be split and bent at right angle in opposite direction for 10 cm length and drilling holes upto 10 mm dia. etc. complete. Angle 50*50*5 mm	6282.54	kg	125.75	122.35	146.83	790029.41
4	10.2	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete. Iron Flat of 50x3 mm width length 1.2mtr @ 1.20 kg/mtr for Fixing Chain link fencing with iron Angle post	1442.88	kg	133.70	130.09	156.11	192913.06
5	16.70.1	Providing and fixing G.I. chain link fabric fencing of required width in mesh size 50x50 mm including strengthening with 2 mm dia wire or nuts, bolts and washers as required complete as per the direction of Engineer-in-charge.	3600.00	sqm	1017.80	990.32	1188.38	3664080.00
G.Total								4931863.59

बन क्षेत्रिक
इन्चिजमी वृत्त
उपप्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वन अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर

उप प्रभागीय वन अधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नेनीताल

प्राक्कलन

कार्य का नाम - कोसी राजि के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लैन्टाना उन्मूलन का कार्य

राजि का नाम - कोसी राजि रामनगर वन प्रभाग रामनगर

वित्तीय वर्ष :- 2026-2027 से 2028-29 तक

क्र०सं०	कार्य का विवरण	जी०पी०एस० लोकेशन	वर्ष	मात्रा है० में	दर रूपयों में प्रति है०	धनराशि	दर कमाक
1	हाथीपौण्ड बीट के टेढा ब्लाक क.स.1ए क्षेत्र में सी. आर.बाबू पद्धति से लैन्टाना उन्मूलन का कार्य	N 29° 26'34" E 79° 09'11"	प्रथम	40	22125	885000	7.1.2
2	— " —	— " —	द्वितीय	40	11186	447440	7.1.4
3	— " —	— " —	तृतीय	40	7457	298280	7.1.5
1	अपरकोसी बीट के रिगौडा ब्लाक क्षेत्र में सी.आर.बाबू पद्धति से लैन्टाना उन्मूलन का कार्य	N 29° 26'6.853" E 79 07'55.444"	प्रथम	22	22125	486750	7.1.2
2	— " —	— " —	द्वितीय	22	11186	246092	7.1.4
3	— " —	— " —	तृतीय	22	7457	164054	7.1.5
1	बेला बीट के बेला क.स. 1बी में सी.आर.बाबू पद्धति से लैन्टाना उन्मूलन का कार्य	(1) N 29° 23'38" E 79° 08' 48" (2) N 290 24'18" E 79° 08' 58"	प्रथम	25	22125	553125	7.1.2
2	— " —	— " —	द्वितीय	25	11186	279650	7.1.4
3	— " —	— " —	तृतीय	25	7457	186425	7.1.5
1	बेलगढ बीट के बेलगढ क. स. 1ए में सी.आर.बाबू पद्धति से लैन्टाना उन्मूलन का कार्य	N 29° 24'34.812" E 79° 08' 44.988"	प्रथम	18	22125	398250	7.1.2
2	— " —	— " —	द्वितीय	18	11186	201348	7.1.4
3	— " —	— " —	तृतीय	18	7457	134226	7.1.5
					Say	4280640.00	

प्रमाणीय वनधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रमाणीय वनधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि, रामनगर

प्राक्कलन

कार्य का नाम - कोसी राजि के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में सोलर लाईट का कार्य
राजि का नाम - कोसी राजि रामनगर वन प्रभाग रामनगर
वित्तीय वर्ष :- 2026-2027

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा नग	अनुसूचित दर	दर रूपयों में प्रति नग	घनराशि
1	सोलर लाईट स्थापित करने का कार्य	34.00	बाजार भाव	24000.00	816000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि, रामनगर

वन संरक्षक
बिचमी ताल
बनारसखण्ड, हरदो

Proposal - Construction/Development of Bus Port at Ramnagar-Ranikhet Road involves the diversion of 0.120 hectares of Reserve Forest land for development of public transport infrastructure.

CERTIFICATE

Certified that, as per the financial sanction made available by the User Agency, the total cost of the project is Rs. 5014.46 lakh. In accordance with the guidelines of the Government of India, the cost of the Wildlife Management Plan and Wildlife Mitigation Plan has been assessed at 2 % of the total project cost and an amount of Rs. 100.29 lakh has been proposed for implementation of the said plans.


Divisional Forest Officer
Ramnagar Forest Division,
Ramnagar

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई-मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 28 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक, 04/जुलाई, 2026।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष वन भूमि 0.120 है0 को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर की पत्र संख्या 25/12-1 दिनांक 02.07.2026।

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष रु0 100.29 लाख की वन्यजीव शमन योजना एवं रु0 25.07 लाख की मृदा जल संरक्षण योजना उपलब्ध करायी गयी है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा प्रेषित वन्यजीव शमन योजना संस्तुति सहित दो प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जीतीश मणि त्रिपाठी)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक: 28 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा प्रेषित मृदा एवं जल संरक्षण योजना प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए 01 प्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटायी जाती है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

माणिक्य

(जीतीश मणि त्रिपाठी)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय

रामनगर वन प्रभाग

क्र० सं० 283

पत्रांक सं० 12-1

दि० 08/7/26



(As per the Van Sanrakshan and Samvardhan Adhiniyam, 2023)

**Diversion of 0.120 ha of Forest Land for Construction of Bus Port/
Development work at Ramnagar- Ranikhet Road in Favour of
Uttarakhand Parivahan Nigam, Ramnagar within the Jurisdiction of
Ramnagar Forest Division, Nainital District of Uttarakhand State**

Proposal no.-FP/UK/others/145973/2021

Soil & Moisture Conservation Plan

RAMNAGAR FOREST DIVISION RAMNAGAR

Soil Moisture Conservation Plan

Table of contents

List of table and figures	Page No.
Introduction	3
Justification	4
Calculation of SMCP	5-7
Total Cost of project regarding G.O	8-9
Certificate	10

Introduction

The proposed Construction/Development of Bus Port at Ramnagar–Ranikhet Road involves the diversion of 0.120 hectares of Reserve Forest land for the development of a modern public transportation facility. The proposed Bus Port will improve passenger transportation services, reduce traffic congestion and provide an organized transit facility for public and commercial vehicles in the region.

The project will strengthen connectivity between Ramnagar and the surrounding areas, facilitate tourism, improve access to public services and contribute to the socio-economic development of the region. It will provide safe and efficient transportation facilities for local residents, tourists and daily commuters while supporting trade and business activities.

During the construction phase, activities such as site preparation, excavation and infrastructure development may cause localized soil disturbance and increase the risk of soil erosion and surface runoff. To mitigate these impacts, appropriate Soil and Moisture Conservation (SMC) measures have been proposed. These include the construction of Retaining/Protection walls at vulnerable locations to prevent soil erosion, stabilize disturbed areas and protect the project site from degradation. Other suitable soil and water conservation measures shall also be implemented to maintain ecological stability within and around the project area.

Justification

The proposed Bus Port is an important public infrastructure project that will improve transportation facilities and cater to the increasing traffic demand in the Ramnagar region. The project will provide an organized transport hub, improve passenger convenience, reduce roadside congestion and enhance overall traffic management.

Although only 0.120 ha of forest land is involved, construction activities may lead to localized soil erosion, loss of topsoil and increased surface runoff. Therefore, implementation of Soil and Moisture Conservation measures is essential to minimize adverse environmental impacts and ensure long-term site stability.

Construction of retaining/protection walls at suitable locations is proposed to prevent soil erosion, stabilize exposed slopes and protect the project area from runoff-induced damage. These measures will help in conserving soil resources, reducing sediment movement and maintaining environmental sustainability.

The proposed SMC measures will:

- Prevent soil erosion and land degradation.
- Stabilize disturbed soil and slopes.
- Reduce surface runoff and sediment transport.
- Conserve soil moisture and improve water retention.
- Protect nearby vegetation and ecological resources.
- Ensure long-term environmental stability of the project area.

The proposed interventions reflect a commitment to balancing infrastructure development with environmental conservation and sustainable management of natural resources.

SOIL & MOISTURE PLAN

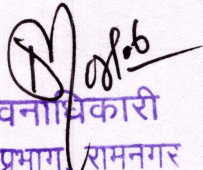
Total Outlay is 0.1127 crore (details attached). This is proposed as per GOI guidelines 0.50 percent of total project cost.

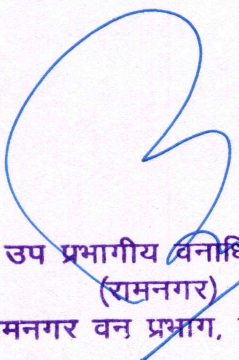
These interventions will be carried out in Koshi Range, Ramnagar Forest Division, Ramnagar.

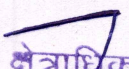
S.No	Details	Amount
1	Total Cost of Construction	5014.46lac.
2	Total Forest Land	0.120 Ha
6	SMC Plan @ 0.5%	25.07 lac.

Summary of Work

S. No.	Component	Unit	Total (Physical)	Financial
1	Plum Concrete for Preventing Soil erosion from Koshi River	Cum	100 Meter	25.07
	Grand Total			25.07
	To SAY			25.07


प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल


वन संरक्षक
बश्चिमी वृत्त
बसवागड, हल्द्वारी.

कार्य का नाम—जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर में अपरकोसी बीट के कोटा राजि में कोसी नदी से कटाव हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।

Block - Ramnagar

Distt - Nainital

Bill Of Quantity

Refere nce to MORD Specifi cation	Item of Work	Qty.	Unit	Rate Witho ut GST	Rate With 18 % GST	Amount Without GST	Amount With 18 % GST
MISC. 1-2	Excavation for Structures:- Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MoRD as per Technical Specification Clause 305.1&300						
		99.96	Cum.	381.90	450.64	38174.72	45046.17
MISC. 2-1	Cement plum Masonry with 40% plum & 60% 1:3:6 cement concrete including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work. as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 of MORD Specifiction						
		522.45	Cum.	3993.30	4712.09	2086299.59	2461833.51
						Total =	2124474.31
						Say =	21.24
							25.07

प्रम. संरक्षक
बश्चिमी वृत्त
बस्तराखण्ड, हल्द्वारी.

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
6 (रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

संख्या-383045/2026/ई-44653/55/IX-2/2022

प्रेषक,

वृजेश कुमार सन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय- रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के पत्रांक-41/2025, दिनांक 17.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना हेतु टी0ए0सी, नियोजन के परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पुनरीक्षित लागत ₹ 5014.46 लाख (पूर्व में अनुमोदित/स्वीकृत लागत ₹ 2857.34 लाख सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित पूर्व में विभिन्न शासनादेशों द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 2857.34 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 2157.12 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या:-44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Uttarakhand, दिनांक 24.07.2025 द्वारा Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2025-26 Part-I(Untied) के अन्तर्गत रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रू० 5.00 करोड़ (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment For 2025-26 Part-I (Untied) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किस्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि तत्काल निर्धारित कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि उसी योजना पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में प्रश्नगत योजना की सम्पन्न व्यय-वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या 637/परिवहन विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2025 दिनांक 24.03.2026 के

कार्यवृत्त (आज्ञाप्रति)
सचिव (सं०)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल.

1

संलग्न) में निहित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2025, वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. योजना हेतु बजट/धनराशि की समुचित व्यवस्था कर ली जाय। योजना हेतु SASCI में प्रस्तावित धनराशि को अन्य किसी योजना में स्थानान्तरित न किया जाय।
9. जांच समिति द्वारा आख्या में भविष्य में भवन विस्तार के दृष्टिगत पुनरीक्षित Electric Load के आधार पर Transformer, HT Panel, Cable, MCB, DB, DG Set, UPS, HVAC, Escalator & Lifts आदि की क्षमता के अनुसार प्रावधान किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में परिवहन विभाग अपने स्तर पर आवश्यकतानुरूप मितव्ययिता के दृष्टिकोण से ही प्रावधान सुनिश्चित करें।
10. निर्माण कार्य NBC and Uttarakhand Building Bye-Laws एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाय। परिवहन विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि बजट के आधार पर भवनों का निर्माण इस प्रकार से हो कि निर्मित भवन को उपयोग में लाया जा सके। अपरिहार्य परिस्थिति में बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य को रोकना भी पड़े तो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित Stage पर ही रोक जाय।
11. निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।
12. अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्रावधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यों में प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य लगाया जाए तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
13. परिसर में विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आईईई0सी0-62561-7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC-62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्रावधानों को संबंधित विभाग से वैट करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त किया जाय। विद्युतीकरण के कार्यों को विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं से ही सम्पादित कराया जाय।
14. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्त परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।
15. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. आगणन में दरें डी0एस0आर0 2023 की ली गई हैं, जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं हैं, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य कराया जाय।
17. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness and Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
18. परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाय।

जा मा प्रि प्रमाणित

2

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य भवन, 26-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य(SASCI) के मानक मद 53-वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।
4. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या (आई0डी0 संलग्न) से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-1/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनित क्रमांक:-383826/2026, दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोपरि।

Digitally signed by
Shri Brijesh Kumar Sant
Date: 31-03-2026
18:04:36
(ब्रिजेश कुमार सन्त)
सचिव।

संख्या:-383845 (1)/2026/ई-44653/55/IX-2/2022,तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
- 7- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी।
- 8- गार्डफाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Pradeep Mohan Nautiyal
Date: 31-03-2026
10:33:35 (प्रदीप मोहन नौटियाल)

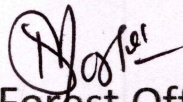
प्रदीप मोहन नौटियाल
उप. सचिव।

महानगर परिवहन निगम (मं०)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
इकाई-1, नैनीताल,

Proposal-For Construction/Development of Bus Port at Ramnagar–Ranikhet Road involves the diversion of 0.120 hectares of Reserve Forest land. As per the financial sanction provided by the User Agency, the total cost of the project is Rs. 5014.46 lakh.

CERTIFICATE

In accordance with the guidelines of the Government of India, a sum of Rs. 25.07 lakh, being 0.50% of the total project cost, has been assessed and earmarked for the implementation of the Soil and Moisture Conservation (SMC) Plan. The proposed SMC measures include construction of retaining/protection walls to prevent soil erosion and surface runoff, along with other suitable soil and water conservation measures to maintain ecological stability in and around the project area.


Divisional Forest Officer
Forest Division
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
Date: